तत्काल जारी करने के लिए

भारत/संयुक्त अरब अमीरात: अपने आगमन के दौरान प्रवासी कामगारों से संबंधित मामला उठाइए

अमीरात में प्रवासी कामगारों, जिनमें लगभग १.२ मिलियन भारतीय कामगार शामिल हैं, को संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है

(न्यूयार्क, २२ नवंबर २०१०) - ह्यूमन राइट्स वाच ने आज भारतीय राष्ट्रपति को भेजे गए एक पत्र में यह अनुरोध किया है कि भारतीय राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल २२ नवंबर, २०१० से शुरू हो रहे संयुक्त अरब अमीरात की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान यहां कार्य कर रहे प्रवासी कामगारों की दुर्दशा पर एक अभिभाषण दें। अमीरात में १.२ मिलियन भारतीय निवास करते हैं जिनमें से कम से कम आधे प्रवासी कामगार हैं।

अपने पत्र में ह्यूमन राइट्स वाच ने संयुक्त अरब अमीरात में कम पारिश्रमिक पर कार्य कर रहे भारतीय और अन्य प्रवासी कामगारों द्वारा प्रायः झेली जा रही समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसेकि - भर्ती शुल्क जमा कराने के लिए कामगारों द्वारा एक बड़ी राशि कर्ज लेना, नियोजक द्वारा उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना और उनसे बेगारी या बलात श्रम कराना, जोखिम पूर्ण दशाओं में कार्य करना, और कभी-कभी शारीरिक प्रताड़ानाओं का भी शिकार होना, आदि ।

ह्यूमन राइट्स वाच के मध्यपूर्वी क्षेत्र के निदेशक सारा ली विट्सन ने कहा " महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल का यह कर्तव्य है कि वे संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे १.२ मिलियन भारतीय कामगारों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं " । काफी लम्बे समय से भारत की सरकार ने इन कामगारों को इनके द्वारा केवल धन विप्रेषण से राष्ट्र को होने वाली आय के साधन के रूप में ही देखा है तथा इनके द्वारा झेली जा रही परेशानियों तथा इनके शोषण की ओर भारत सरकार ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया है।

इस पत्र में भारत सरकार से कामगारों को अत्यधिक भर्ती शुल्कों के बोझ से बचाने, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेने और उनके पारिश्रमिक का भुगतान न करने के कारण उनके समक्ष उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय करने का अनुरोध किया गया है। ह्यूमन राइट्स ने श्रीमती पाटिल से यह भी अनुरोध किया है कि वे घरेलू कर्मचारियों, जो व्यावहारिक रूप में निजी घरों में अलग-थलग रहने के कारण प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का अधिक आसानी से शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन पर संयुक्त अरब अमीरात में लागू श्रम कानून भी लागू नहीं हो पाता, के अधिक प्रबल सरंक्षण की मांग उठाएं।

ह्यूमन राइट्स वाच ने २००६ में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट, " बिल्डिंग टावर्स, चीटिंग वर्कर्स " और २००९ की रिपोर्ट " द आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस " दोनों में संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी कामगारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। २०१० में ह्यूमन राइट्स वाच ने दुबई, शारजाह और आबू धाबी में निर्माण कार्य में और शारीरिक श्रम में लगे भारतीय मजदूरों के साथ बातचीत करके कुछ निष्कर्ष भी प्राप्त

किए जिससे यह ज्ञात हुआ कि कामगार भर्ती शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करते हैं और वे अपनी इच्छानुसार काम को बदल या छोड़ नहीं सकते।

संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में ह्यूमन राइट्स वाच की अन्य रिपोर्टें जानने के लिए कृपया निम्नलिखित साइट देखें।
http://www.hrw.org/en/news/2010/04/28/middle-eastasia-partial-reforms-fail-migrant-domestic-workers

२००६ की रिपोर्ट," बिल्डिंग टावर्स, चीटिंग वर्कर्स" पढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित साइट देखें।
http://www.hrw.org/en/reports/2009/05/18/island-happiness

२००९ की रिपोर्ट " द आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस" पढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित साइट देखें।
http://www.hrw.org/enreports/2006/11/11/building-towers-cheating-workers

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

न्यूयार्क में, सारा ली विट्सन (अंग्रेजी) : + १-२१२-१६-२३०; + १-७१८-३६२-०१७२(मोबाइल) या whitsos@hrw.org

टोरोंटो में, समर मसकटी (अंग्रेजी):+ १-४१६-३२२-८४४८; या muscats@hrw.org

न्यूयार्क में, निशा वेरिया (अंग्रेजी, स्पेनिश) :+ १-२१२-२१६-१८५८; + १-९१७-६१७-१०४१(मोबाइल); या varian@hrw.org

न्यूयार्क में, प्रियंका मोटापार्थी (अंग्रेजी, अरबी): + १-२१२-३७७-९४२०; + १-९१७-७४४-४००४ (मोबाइल); या motapap@hrw.org

मुंबई में, मीनाक्षी, गांगुली (हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी): + ९१-९८-२००-३६०३२ (मोबाइल)